न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 42/2020

1 प्रताप सिंह पुत्र सुदन उर्फ सुदनराम जाति जाट निवासी जीणी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बीरबल पुत्र सुदन उर्फ सुदनराम जाति जाट निवासी जीणी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
4 भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ अन्तिम निर्णय व डिक्री बअदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ जिला झुंझुनू
दावा उनवानी बीरबल बनाम प्रताप सिंह आदि दावा
बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर
34/2018 निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 16.01.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा दावा मु. नं. 34/2018 बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। दावें में दिनांक 17.12.2018 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित होकर तहसीलदार सुरजगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया गया था कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजुदगी में राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुये पक्षकारान के मध्य भौतिक बंटवारा करें व विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत करें। तहसीलदार सुरजगढ़ द्वारा अपीलांट की गैर मौजुदगी में पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर दिनांक 20.05.2019 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात दिनांक 16.12.2019 को पत्रावली आपति विभाजन प्रस्ताव में नियत नहीं कर सीधे ही बहस अंतिम हेतु नियत की गई। दिनांक 26.12.2019 को पीठासीन अधिकारी न्यायालय कार्य नही करने के कारण दिनांक 16.01.2020 आगामी पेशी नियत की गई। दिनांक 16.01.2020 को अपीलांट को आपति विभाजन प्रस्ताव का अवसर नहीं देकर दावें में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री के आधार पर बाद विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट को बिना सुने व बिना आपति प्रस्तुत करने का अवसर दिये अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश करने का अवसर दिये बिना मनमर्जी से तथाकथित विभाजन प्रस्ताव में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर नही जाकर कब्जे बाबत गलत रिपोर्ट कार्याललय में तैयार कर कब्जा काश्त से अलग हटकर पेश की गई। अदालत मातहत द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार सुरजगढ़ को आदेश दिया गया था, जबकि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा बिना पक्षकारों को सूचित किये पक्षकारान की गैर हाजरी में तहसील कार्यालय में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के सहमति बाबत भी हस्ताक्षर नही है। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर बाबत कोई टिप्पणी भी अंकित नही की गई है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का विवादित जमीन में प्रत्येक खसरा में 1/2 हक हिस्से का कब्जा काश्त बदस्तुर है। हाल खसरा नम्बर 10 कम उपजाऊ भूमि जो गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित है को गलत रूप से अकेले अपीलान्ट को दी गई हैं। जमीन हाल खसरा नम्बर 187 गांव की आबादी भूमि से सटकर है व हाल खसरा नम्बर 257 भी गांव से सटकर ही स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का मुताबिक राजस्व रिकार्ड 1/2 हक हिस्से अनुसार बाहमी विभाजन से मौके पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार कब्जे काश्त के विरूद्ध प्रस्तुत हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट को तहसीलदार सुरजगढ़ द्वारा गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत मातहत में पेश किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से अपीलान्ट के हक अधिकार पूर्ण रूप से प्रभावित होगें व अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनूं(कैम्प सूरजगढ़)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना कर तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार एवं उपस्थित पक्षकारान के हस्ताक्षर है। मौके पर प्रतिवादी उपस्थित नहीं था। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है। अंतिम डिक्री को अपीलांट ने स्वीकार कर ऋण हेतु भूमि को रहन भी रखा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा तीन स्थान पर मकान बना रखे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2019 पेज 333 एवं आरआरटी 2020(2) पेज 716 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2018 को उभयपक्ष की सहमति से राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार सुरजगढ़ को पक्षकारान की मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गये है। पत्रावली में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 20.05.2019 अंकित है जबकि इसी विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार के हस्ताक्षर के नीचे 31.05.2019 अंकित है। तहसीलदार सुरजगढ़ द्वारा कमांक 1574 दिनांक 31.05.2019 से विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय को भेजे गये है जो विचारण न्यायालय द्वारा कमांक 538 दिनांक 07.06.2019 को प्राप्त किये गये है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.08.2019 में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने का अंकन है। इसके उपरांत दिनांक 16.01.2020 को उभयपक्ष की बहस सुना जाकर अंतिम

...न प्रबन्ध अधिकारी एवं
...न राजस्व अपील अधिकारी

डिक्री पारित किये जाने का आदेशिका में उल्लेख है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना की गई है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर